

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1088 सन 2020

अनवान :-

1. सत्यदेव स्वामी पुत्र बीरमदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र बीरमदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विमला पत्नी गोपीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सुशीला पत्नी सत्यदेव जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. ओमप्रकाश सुमरा पुत्र बीरमदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. शशी सुमरा पत्नी ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सन्तोष देवी पत्नी कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. चन्द्र मोहन सुमरा पुत्र कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. दिपेन्द्र सुमरा पुत्र कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. पूनम पुत्री कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. रामसिंह पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. लालचन्द पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. निर्मला पुत्री सत्यदेव जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

14. धमेन्द्र कुमार सुमरा पुत्र सत्यपाल जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. नरेन्द्र कुमार सुमरा पुत्र सत्यदेव जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. आनन्द सुमरा गोपीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. हिरेन्द्र कुमार पुत्र गोपीराम सुमरा जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
18. अनिरुद्ध सुमरा पुत्र ओमप्रकाश सुमरा जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. हर्शल सुमरा पुत्र ओमप्रकाश सुमरा जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 126/120 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.1878 है0 भूमि में से 569/15939 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के तथा 1202/15939 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 5 के तथा 569/15939 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज है तथा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 122/116 के कुल खसरे 23 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के, 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवाद संख्या 1 के, 1/32 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के, 1/32 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के, 1/32 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 9 के, 5/32 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 590 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है0 भूमि में से 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के, 1/16 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/128 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के, 1/128 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 9 के, 1/16 हिस्सा भूमि वादी के व 5/128 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 6 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 163/158 के कुल खसरा 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा



प्रतिवादी संख्या 4 के, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के, 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 के, 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के, 1/4 हिस्सा वादी के, 5/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है तथा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 162/157 के कुल खसरे 39 का कुल क्षेत्रफल 7.5900 है 0 भूमि में से 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के, 1/16 हिस्सा वादी के, 5/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है व 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 16/16 के कुल खसरे 132 का कुल क्षेत्रफल 26.8180 है 0 भूमि में से 1/424 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के, 1/424 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के, 3/530 हिस्सा व 1/424 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के, 1/424 हिस्सा वादी के, 1/424 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के, 3/530 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के व 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/97 के कुल खसरे 89 की कुल 17.4570 है 0 भूमि में से 169/17457 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के, 295/17457 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के, 127/17457 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के, 169/17457 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है व 6 केएनएन के खाता संख्या 54/51 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है 0 भूमि में से 3/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के, 3/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के, 1/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के, 3/22 हिस्सा भूमि वादी के, 3/22 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है व 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 148/140 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है 0 में से 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त तोर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से काशत की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वाद भूमि काशत करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य काशत की सुविधा के मध्यनजर हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ,14 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ,14 ता 19 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 के अनुसार किया हुआ है इसी अनुसार भूमि काशत करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,7 ,8 ,11 ,12 ,14 ता 19 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कि जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया

22

गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 14 ता 19 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 9 प्रतिवादी की बहने है एवं कान्ता प्रसाद की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 7, 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12, 14 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 14 ता 19 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12, 14 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9, 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9, 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8, 14, 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9, 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12, 14 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के



द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 162/157 के कुल खसरे 39 की 7.5900 है० में से 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के, 1/16 हिस्सा वादी के, 5/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 4 6, 7, 8, 9 का नाम कलमजन किया जाकर कुल 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 की भूमि में से प० नं० 339/383 (59) के किला नं. 12 मिन पूर्व की 0.215 है०, 19 मिन पूर्व की 0.215, 22 मिन पूर्व की 0.215 है० व प० नं० 339/384 (62) के किला नं. 1 की 0.253 है० व प० नं० 337/383 (57) के किला नं. 25/1 की 0.026 है० मु० रास्ता 25/2 की 0.227 है० व पं० नं० 338/384 (63) के किला नं. 5/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला 5/2 की 0.2270 है० नहरी प्रतिवादी संख्या 15 के नाम दर्ज किया जावे व प० नं० 339/380 (40) के किला नं. 24 की 0.253 है०, 25/1 की 0.026 है० गै० मु० खाला, 25/2 की 0.2270 है० 339/380 (39) के किला नं. 21 की 0.253 है० व प० नं० 339/381 (45) के किला नं. 4 की 0.0253 है०, 5/1 की 0.026 है० गै० मु० खाला, 5/2 की 0.227 है० भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 के नाम दर्ज की जावे रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 122/116 की भूमि में से प० नं. 334/381 (26) के किला नं. 3/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता 3/2 की 0.228 है०, 4/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की 0.228 है०, 5/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 5/3 की 0.202 है०, 6/1 की 0.026 है० गै० मु० खाला, 6/2 की 0.227 है० व प० नं० 335/381 (27) किला नं. 1/1 की 0.026 है० मु० रास्ता, 1/2 की 0.227 है०, 10 की .253 है० व प० नं० 334/380 (21) किला नं. 18 मिन दक्षिण की 0.234 है०, 23 की 0.253 है० कुल 2.005 है० भूमि व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 की भूमि में से प० नं० 338/383 (58) किला नं. 16 की 0.253 है०, 25 मिन उत्तर की 0.227 है०, 25 मिन दक्षिण की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, प० नं० 339/383 (59) किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है०, 12 मिन पश्चिम की 0.038 है०, 19 मिन पश्चिम की 0.038 है०, 22 मिन पश्चिम की 0.038 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 9 केएनएन के खाता संख्या 126/120 की कुल 3.1878 है० की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर 0.228 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के व 0.240 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोष देवी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/97 के कुल खसरे 89 का कुल क्षेत्रफल 17.4570 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 169/17457 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 169/17457 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 शशी के नाम दर्ज 295/17457 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 संतोष के नाम दर्ज 127/17457 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 शशी सुमरा के कुल 0.760 है० भूमि दर्ज की जावे रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 54/51 के कुल खसरे 14 की कुल 2.7830 है० में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम, प्रतिवादी संख्या 2 विमला, 5 शशी सुमरा, 6 सन्तोष देवी का नाम कलमजन किया जाकर 1.771 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ओम प्रकाश व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 18, 19 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व 6 केएनएन के खाता संख्या 163/158 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है० भूमि के प० नं० 338/383 (58) के किला नं. , 14, 15, 17 ता 20 प्रत्येक की 0.253 है० मय 21 मिन उत्तर 0.227 है., 21 मिन दक्षिण 0.013 है० गै० मु० रास्ता सहित व 3 बाराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 590 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है० भूमि में वादी, 6 सन्तोष व 9 पूनम व प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/8 हिस्सा यानी 0.506 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ओम प्रकाश व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 18,

२३

19 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 1/8 हिस्सा यानी 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 16/16 के कुल खसरे 132 की कुल 26.8180 है0 भूमि में वादी के नाम दर्ज 1/424 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम दर्ज 1/424 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 2 विमला के नाम दर्ज 3/530 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 5 शशी देवी के नाम दर्ज 3/530 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोष देवी के नाम दर्ज 1/424 हिस्सा भूमि व 3/530 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा व 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 122/116 के प0 नं0 334/380 (21) के किला नं. 6/1 की 0.0250 गै0 मु0 खाला है0, 6/2 की 0.2280 है0, 7 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0 14 की 0.253 है0, 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.228 है0, 17 की 0.253 है0, 18/1 की 0.019 मिन उत्तर 24 की 0.253 है0 कुल 1.79 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 7-8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 148/140 व 6 केएनएन के खाता संख्या 163/158 के प0 नं0 338/383 (58) के किला नं. 22/1 की 0.240 है0, 23/1 की 0.240 है0, 24/1 की 0.240 है0 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक की मिन दक्षिण 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता प0 नं0 338/384 (63) किला नं. 4/1 की 0.026 है0, 4/2 की 0.227 है0, 6-7 की 0.506 है0 प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 के प0 नं0 338/384 (63) किला नं. 1/1 की 0.025 गै0 मु0 खाला, 1/2 की 0.228 है0, 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 की 0.228 है0, 3/1 की 0.025 है0, 3/2 की 0.228 है0 प0 नं0 337/384 (64) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0 खाला, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 की 0.202 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 11 लालचन्द के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 प0 नं0 337/384 (64) किला नं. 6/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.227 है0, प0 नं0 338/384 (63) के किला नं. 8, 9, 10 की 0.759 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 रामसिंह का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सत्यदेव स्वामी पुत्र बीरमदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र बीरमदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. विमला पत्नी गोपीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. सुशीला पत्नी सत्यदेव जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
4. ओमप्रकाश सुमरा पुत्र बीरमदास जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
5. शशी सुमरा पत्नी ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
6. सन्तोष देवी पत्नी कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
7. चन्द्र मोहन सुमरा पुत्र कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
8. दिपेन्द्र सुमरा पुत्र कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
9. पूनम पुत्री कान्ता प्रसाद जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
10. रामसिंह पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
11. लालचन्द पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
12. निर्मला पुत्री सत्यदेव जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

असल प्रतिवादी

14. धमेन्द्र कुमार सुमरा पुत्र सत्यपाल जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
15. नरेन्द्र कुमार सुमरा पुत्र सत्यदेव जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
16. आनन्द सुमरा गोपीराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
17. हिरेन्द्र कुमार पुत्र गोपीराम सुमरा जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
18. अनिरुद्ध सुमरा पुत्र ओमप्रकाश सुमरा जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
19. हर्षिल सुमरा पुत्र ओमप्रकाश सुमरा जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक-05/02/2021


आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 162/157 के कुल खसरे 39 की 7.5900 है0 में से 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 के, 1/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के, 1/16 हिस्सा वादी के, 5/128 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6, 7, 8, 9 का नाम कलमजन किया जाकर कुल 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 की भूमि में से पं0 नं0 339/383 (59) के किला नं. 12 मिन पूर्व की 0.215 है0, 19 मिन पूर्व की 0.215, 22 मिन पूर्व की 0.215 है0 व पं0 नं0 339/384 (62) के किला नं. 1 की 0.253 है0 व पं0 नं0 337/383 (57) के किला नं. 25/1 की 0.026 है0 मु0 रास्ता 25/2 की 0.227 है0 व पं0 नं0 338/384 (63) के किला नं. 5/1 की

0.025 है0 गै0 मु0 खाला 5/2 की 0.2270 है0 नहरी प्रतिवादी संख्या 15 के नाम दर्ज किया जावे व प0 नं0 339/380 (40) के किला नं. 24 की 0.253 है0, 25/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 25/2 की 0.2270 है0 339/380 (39) के किला नं. 21 की 0.253 है0 व प0 नं0 339/381 (45) के किला नं. 4 की 0.0253 है0, 5/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.227 है0 भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 के नाम दर्ज की जावे रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 122/116 की भूमि में से प0 नं. 334/381 (26) के किला नं. 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता 3/2 की 0.228 है0, 4/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.228 है0, 5/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 की 0.202 है0, 6/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.227 है0 व प0 नं0 335/381 (27) किला नं. 1/1 की 0.026 है0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.227 है0, 10 की .253 है0 व प0 नं0 334/380 (21) किला नं. 18 मिन दक्षिण की 0.234 है0, 23 की 0.253 है0 कुल 2.005 है0 भूमि व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 की भूमि में से प0 नं0 338/383 (58) किला नं. 16 की 0.253 है0, 25 मिन उत्तर की 0.227 है0, 25 मिन दक्षिण की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, प0 नं0 339/383 (59) किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है0, 12 मिन पश्चिम की 0.038 है0, 19 मिन पश्चिम की 0.038 है0, 22 मिन पश्चिम की 0.038 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 9 केएनएन के खाता संख्या 126/120 की कुल 3.1878 है0 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर 0.228 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के व 0.240 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 6 सन्तोष देवी के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/97 के कुल खसरे 89 का कुल क्षेत्रफल 17.4570 है0 भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज 169/17457 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 के नाम दर्ज 169/17457 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 5 शशी के नाम दर्ज 295/17457 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 6 संतोष के नाम दर्ज 127/17457 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2, 3 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 5 शशी सुमरा के कुल 0.760 है0 भूमि दर्ज की जावे रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 54/51 के कुल खसरे 14 की कुल 2.7830 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम, प्रतिवादी संख्या 2 विमला, 5 शशी सुमरा, 6 सन्तोष देवी का नाम कलमजन किया जाकर 1.771 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ओम प्रकाश व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 18, 19 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 6 केएनएन के खाता संख्या 163/158 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि के प0 नं0 338/383 (58) के किला नं. , 14, 15, 17 ता 20 प्रत्येक की 0.253 है0 मय 21 मिन उत्तर 0.227 है., 21 मिन दक्षिण 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता सहित व 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 590 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है0 भूमि में वादी, 6 सन्तोष व 9 पूनम व प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/8 हिस्सा यानी 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ओम प्रकाश व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 18, 19 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 1/8 हिस्सा यानी 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व

(2)

8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 16/16 के कुल खसरे 132 की कुल 26.8180 है0 भूमि में वादी के नाम दर्ज 1/424 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम दर्ज 1/424 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 विमला के नाम दर्ज 3/530 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 शशी देवी के नाम दर्ज 3/530 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोष देवी के नाम दर्ज 1/424 हिस्सा भूमि व 3/530 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 6 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे तथा व 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 122/116 के प0 नं0 334/380 (21) के किला नं. 6/1 की 0.0250 गै0 मु0 खाला है0, 6/2 की 0.2280 है0, 7 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0 14 की 0.253 है0, 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.228 है0, 17 की 0.253 है0, 18/1 की 0.019 मिन उत्तर 24 की 0.253 है0 कुल 1.79 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 7-8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 148/140 व 6 केएनएन के खाता संख्या 163/158 के प0 नं0 338/383 (58) के किला नं. 22/1 की 0.240 है0, 23/1 की 0.240 है0, 24/1 की 0.240 है0 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक की मिन दक्षिण 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता प0 नं0 338/384 (63) किला नं. 4/1 की 0.026 है0, 4/2 की 0.227 है0, 6-7 की 0.506 है0 प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 के प0 नं0 338/384 (63) किला नं. 1/1 की 0.025 गै0 मु0 खाला, 1/2 की 0.228 है0, 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 की 0.228 है0, 3/1 की 0.025 है0, 3/2 की 0.228 है0 प0 नं0 337/384 (64) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0 खाला, 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 की 0.202 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 11 लालचन्द के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 163/158 व खाता संख्या 148/140 प0 नं0 337/384 (64) किला नं. 6/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.227 है0, प0 नं0 338/384 (63) के किला नं. 8, 9, 10 की 0.759 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 रामसिंह का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 नोहर (हनुमानगढ)